न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 01/19

मधु पत्नि जमुना प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी अगमा मौहल्ला करवा कामां

प्रार्थी

बनाम

1–हीरालाल पुत्र रामचन्द जाति तेली निवासी करवा कामां थाना कामां तहसीलदार कामां
2–तहसीलदार कामां लैण्ड होल्डर एवं प्रतिनिधि

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री फूलचन्द गुप्ता प्रार्थी
श्री बालमुकन्द गुप्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 25.02.2021

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 35/0.24, 36/0.16 वाके अगमा तहसील कामां पहले रामस्वरूप पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी अगमा मौहल्ला कामां की खातेदारी का रकवा था । जिसको प्रार्थीया ने दिनांक 19.3.2019 को जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद कर लिया और तभी से उक्त नम्बरान पर वहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है । प्रार्थीया के उक्त दोनों नम्बरान के पूरव दिशा में हीरालाल अप्रार्थी का खसरा नम्बर 37/0.39 स्थित है । जो प्रार्थीया के खसरा नम्बर 35 व 36 की सीमा तक है । सबलाना कामां सडक से प्रार्थीया को उसके खसरा नम्बर 37 जो अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त व खातेदारी का है में हो कर ही है । अन्य कोई रास्ता उक्त खेतों के लिए नहीं है । प्रार्थीया को अपने खेतों में आने जाने व वाहन टैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी नं0 1 के खसरा नम्बर 37 में से 20 फुट चौडा रास्ता कायम कराना चाहती है । जिसके लिए प्रार्थीया नियमानुसार मुआवजा देने को तैयार है । अप्रार्थी नं0 1 रजामन्दी से रास्ता देने को तैयार नहीं है । उसने रास्ता देने से साफ मना कर दिया है । अतः खसरा नम्बर 35 व 36 में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या01 के खसरा नम्बर 37 में से 20 फुट चौडा रास्ता कायम किया जाने हेतु आदेश फरमावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं01 की ओर अधिवक्ता उपस्थित आये । जबाव पेश किया। कि खसरा नम्बर 35/0.24, 36/0.16 के साथ आराजी खसरा नम्बर 29/0.15, 38/0.24 का 1/4 हिस्सा रामस्वरूप से दिनांक 19.3.2019 को खरीद किया है । आराजी खसरा नम्बर 29, 38 को खरीदना तथ्य को प्रार्थना पत्र में छिपाया गया है । क्योंकि खसरा नम्बर 29 जो सबलाना सडक मार्ग से लगा हुआ है। जहां से प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 35 व 36 को जाने का रास्ता मौजूद है । इस प्रकार अप्रार्थी की आराजी में होकर नये रास्ते की मांग गलत की है । इसके अलावा खसरा नम्बर 14, 31, 32, 70, 72, 73, 74, 76 व 33 प्रार्थीया की खरीद शुदा आराजी से मिली हुई है । प्रार्थीया के पति जमुना प्रसाद ने आराजी खसरा नम्बर 33/0.58 रकवा में से 0.02 एयर अर्थात 170 वर्ग मीटर रकवा गैर मुमकिन उद्योग के लिए भूमि रूपान्तरण कराया हुआ है । जहां व नवीन उद्योग स्थापित करना चाहते है व शेष आराजी में प्रार्थीया के पति ने गैर कानूनी तरीके से बिना भूमि रूपान्तरण कराये मकान बना रखा है । प्रार्थीया को उसकी

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

आराजी खसरा नम्बर 35, 36 में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 29 व खसरा नम्बर 28 की उत्तरी मेड से होकर रास्ता मौके पर मौजूद है जो करीब 30 फीट चौडा है । उसमें से कुछ हिस्सा प्रार्थीया के पति जमुना प्रसाद ने अपनी अन्य आराजी में मिला रखा है । अप्रार्थी नं0 2 तहसीलदार की ओर से जबाव प्राप्त हुआ कि वर्तमान में प्रार्थीया का खसरा नम्बर 37 में से होकर आना जाना नहीं है । वर्तमान में मौके पर प्रार्थीया का कामां छिछरवाडी रोड लगते हुये खसरा नम्बर 28 की उत्तरी मेड से होकर खसरा नम्बर 28 की पश्चिमी मेड व खसरा नम्बर 30, 31, 32 की पूर्वी मेड से होकर प्रार्थीया के खसरा नम्बर 35 36 में आने जाने हेतु लगभग 3 फुट चोडा पगडंडी मार्ग मौके पर बना हुआ है । प्रार्थीया खातेदार भूमि खसरा नम्बर 35, 36 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 37 में से 20 फुट का रास्ता चाहती है । यदि प्रार्थीया को खसरा नम्बर 37 में से सीधा रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीया के खेत से सडक की दूरी कम हो जाती है । प्रार्थीया द्वारा मांगे रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मांगे गये रास्ता से ज्यादा सुविधाजनक हो मौके पर उपलब्ध नहीं है ।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए खसरा नम्बर 37 की जमाबन्दी सं0 2070 से 2073 बयनामा खसरा नम्बर 35, 36 की फोटो प्रति ब्लू प्रिंट नक्शा, नक्शा अक्श किस्त वार मौजा अगमा नम्बर हदबस्त की फोटो पेश की है । तथा अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 33, 35, 36, 38, 29 , 14, 31, 32, 70, 71, 72, 74, 76 की नकल जमाबन्दी सं0 2070–2073, व नक्शा ट्रेस, पेश किये है ।

उभयपक्षकार वकील की बहस सुनी गयी । प्रार्थीया की ओर अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना में लिखित तथ्यों को बहस में दोहराया । अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता ने जबाव में लिखित तथ्यों को दोहराया ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र , अप्रार्थी के जबाव, तहसीलदार कामां की मौका रिपोर्ट व उभयपक्ष द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया व बहस के आधार पर निष्कर्ष यह है कि प्रार्थीया द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 35 व 36 में जाने के लिये अप्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 37 में से रास्ता चाहा है, लेकिन प्रार्थीया के आराजी खसरा नम्बर 35 व 36 से सटा हुआ पश्चिम दिशा में अप्रार्थीया के पति के नाम दर्ज रिकार्ड खसरा नम्बर 31, 32, 33 हैं जिसे प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में छिपाया है साथ ही प्रार्थिया के पति के नाम दर्ज खसरा नम्बर 33 में से 0.02 हैक्टर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की हुई है । चूकि भूमि रूपान्तरण के लिये पहुंच मार्ग अनिवार्य है, लेकिन इस तथ्य को प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में छिपाया है । चूंकि धारा 251 ए राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार की तीन आधारों पर रास्ता दिये जाने का प्रावधान है ।

1:–यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ।

2:–अन्य खातेदार की जोत में होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है ।

3:–लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग बनाने के लिए हो ।

उपरोक्त तीनों आधारों पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र का परीक्षण इस प्रकार से है :–

प्रार्थिया के पास अपनी आराजी खसरा नम्बर 35 व 36 में पहुंचने के लिए अपने पति के नाम दर्ज रूपान्तरण शुदा आराजी खसरा नम्बर 33 में से होकर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो सकता है एवं प्रार्थिया द्वारा इस तथ्य को जानबूझ कर छिपाया है ।प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अत्यन्त आवश्यकता के आधार पर न लाया जाकर अपनी आराजी के सुविधापूर्ण उपयोग हेतु पेश किया जाना प्रतीत होता है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजकाश्तकारी अधिनियम के आलोक में खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया । त्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner